संलग्नक - 2

उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी.सी.-१२वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

G 20157

संख्या- /विविध-७३/२०१५ दिनांक- 28-4-15

कार्यालय-ज्ञाप

जैसा कि अवगत है कि प्रदेश में निवेश परियोजनाओं को आकर्षित करने एवं स्थापित परियोजनाओं में विभिन्न विभागों से उद्यमियों द्वारा वांछित स्वीकृतियां/प्रमाण पत्रों/अनापत्तियों आदि को प्राप्त करने हेतु प्रदेश में लागू एकल मेज व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़/प्रभावी एवं उद्योगपरक बनाने हेतु निवेश मित्र व्यवस्था प्रदेश में सुचारू रूप से कार्य कर रही है तथा दिनांक 01.05.2014 से प्रदेश के समस्त जनपदों में स्थापित होने वाले एवं कार्यरत उद्योगों के लिए समस्त स्वीकृतियां/अनुमतियां/प्रमाण पत्रों हेतु आवेदन केवल आनलाइन निवेश मित्र व्यवस्था के माध्यम से ही प्राप्त किया जाना अनिवार्य किया गया है। उक्त के परिपेक्ष्य में बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एफ53895/सी-3/विविध-73/2015 दिनांक 08.01.2015 के द्वारा निर्देशित किया गया था कि निवेश मित्र व्यवस्था के अन्तर्गत उद्योगों को स्वीकृतियां/अनुमतियां/अनापत्तियां/प्रमाण-पत्रों आदि का निस्तारण निर्धारित समयावधि में किया जाये।

दिनांक 25.04.2015 को मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में निवेश मित्र व्यवस्था के तहत प्राप्त बोर्ड में प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण की समीक्षा की गयी थी एवं पाया गया कि कई बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा निवेश मित्र व्यवस्था के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण निर्धारित समयावधि में नहीं किया जा रहा है।

उपरोक्त परिस्थिति में एतद् द्वारा बोर्ड के समस्त संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि:-

1. प्रदेश के समस्त जनपदों में स्थापित होने वाले एवं कार्यरत उद्योगों के लिए समस्त स्वीकृतियां /अनुमतियां/प्रमाण पत्रों हेतु आवेदन केवल निवेश मित्र व्यवस्था के माध्यम से आनलाइन ही प्राप्त किया जाएगा एवं किसी भी परिस्थिति में मैन्युल आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किया जाएगा।
2. निवेश मित्र व्यवस्था के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण पूर्व निर्धारित समयावधि में किया जाएगा एवं निस्तारण में होने वाले किसी भी प्रकार के विलम्ब का पूर्ण उत्तरदायित्व उक्त क्षेत्र के क्षेत्रीय अधिकारी एवं मुख्यालय स्तर पर उक्त वृत्त के मुख्य पर्यावरण अधिकारी का होगा।
3. उद्यमियों से प्राप्त आवेदन पत्र एवं संलग्नकों में पायी गयी कमी के संबंध में मात्र एक बार ही आनलाइन क्वैरी लेटर प्रेषित किया जाएगा।
4. उद्योग का स्थल निरीक्षण करने के उपरान्त विलम्बतम 48 घंटे के अन्दर निरीक्षण आख्या निवेश मित्र व्यवस्था के तहत वेबसाइट www.udyogbandhu.com पर प्रदर्शित की जाएगी।
5. दिनांक 01.05.2015 के उपरान्त निर्गत होने वाले समस्त स्वीकृतियां/अनुमतियां/प्रमाण पत्रों की स्कैन प्रति उद्यमी को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा।

उपरोक्त आदेश तुरन्त से प्रभावी होंगे।

28.4.2015

(सैयद जावेद अब्बास)
अध्यक्ष

पृ० सं० एवं दिनांक- उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. अध्यक्ष महोदय के निजी सचिव।
२. बोर्ड मुख्यालय के समस्त इकाईयों के नियंत्रक अधिकारी/ समस्त क्षेत्रीय अधिकारी।
३. गार्ड फाइल।

(जे० एस० यादव)
सदस्य-सचिव

Scanned by CamScanner